56

संख्या 284 /XXVII(1)/2013

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2.समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग – 1 देहरादून, दिनांक 30 मार्च, 2013

विषयः–वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किया जाना।

महोदय,

वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की मांगे स्वीकृत होने एवं तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम, 2013 पारित होने के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (एफ0आर0बी0एम0) अधिनियम में निर्धारित उपबन्धों की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने एवं तद्क्रम में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप व्यय को नियंत्रित करने की बाध्यता के उद्देश्य से व्यय हेतु धनराशियां अवमुक्त करने एवं अवमुक्त धनराशियों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सघन व नियमित समीक्षा करना आवश्यक है। अतः धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्धी प्रत्येक आदेश, चाहे वह सम्बन्धित वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग की सहमति से निर्गत किया जाये अथवा सीधे प्रशासनिक विभागों अथवा अन्य प्राधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाये, को तभी निर्गत किया जायेगा जब इस हेतु इन्टरनेट के माध्यम से वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 तथा तद्क्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर प्राप्त करा लिया जाये। बिना इस विशिष्ट नम्बर के किसी भी आदेश के आधार पर कोई आहरण एवं व्यय नहीं किया जायेगा। विभागाध्यक्ष स्तर पर बजट का आवंटन विभाग में कार्यरत वरिष्ठतम वित्त अधिकारी द्वारा आहरण–वितरण अधिकारी को किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।